न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 23/2018 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री महादेव शर्मा नि0 सी–25 देवरिया बालाजी रोड़, संजय कॉलोनी भीलवाडा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

—अपीलार्थी —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 13/04/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी , भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 23.03.2018 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 20/02/2018 का एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/–रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 40एफ 910803 प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को डाक से भिजवाते हुए सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20/02/2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 28/03/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी नियत दिनांक 11.04.2018 को उपस्थित हुआ। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी , भीलवाड़ा के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 20.02.2018 में अंकित दो बिन्दुओं की सूचना समयावधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराई गई यहां तक अपील प्रस्तुत होने के उपरान्त भी नियत दिनांक 11.04.2018 को एवं 13.04.2018 को उपस्थित होने पर भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई व पूर्व नियत अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने के सम्बन्ध में कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपीलार्थी का कथन है कि प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के द्वारा रीडर के पद पर श्री सुरेशचन्द्र गट्याणी को एवं श्री द्वारका प्रसाद शर्मा को बिना किसी सक्षम आदेश के लगा रखा है । ये दोनो किस विभाग के हैं तथां किस आदेश से लगाया है उसकी प्रति चाही गई क्योंकि इन दोनों को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में लगाने से इनके मूल पदस्थापित कार्यालय में कार्य प्रभावित हो रहा है। अतः वांछित सूचना उपलब्ध कराई जावे। प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रत्युत्तर या मौखिक तर्क प्रस्तुत नहीं किया।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी प्रतिनिधि को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 20.02.2018 को प्रत्यर्थी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दो बिन्दुओं की सूचना चाही गई। दोनों बिन्दुओं में श्री सुरेशचन्द्र गट्याणी एवं श्री द्वारका प्रसाद शर्मा किस विभाग के कार्मिक हैं एवं किस आदेश से प्रत्यर्थी के कार्यालय में कार्यरत है के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है। दोनों ही बिन्दुओं में अंकित सूचना किसी भी तरह से किसी सार्वजनिक हित को प्रभावित नहीं करती है यहां तक कि स्वयं का भी कोई व्यक्तिगत हित प्रभावित नहीं होता है। दोनों ही कार्मिक राजस्व विभाग के हैं तथा किसी भी कार्मिक की सेवाएं कार्यालय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किए जाने हेतु उनकी सेवाएं कभी भी ली जा सकती है। सम्पूर्ण जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित किए जाने हेतु सम्बन्धित विभाग के कार्मिकों का पदस्थापना किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह अपील सारहीन है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 13/04/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा